## Planning Commission

(Staff Car Cell)

Under Secretary (Genl.I), Planning Commission, Yojana Bhavan, Sansad Marg, New Delhi, for and on behalf of President of India, invite sealed quotations for the disposal of the following petrol and CNG cars on as is where is basis:-

| Sl. No. | Vehicle No. | Model \& Year Remarks |
| :--- | :--- | :--- |
| 1. | DL2CF-7378 | Amb. 1994 with CNG and AC |
| 2. | DL2CF-7379 | Amb. 1994 with CNG |
| 3. | DL2CG-3855 | Amb. 1995 with CNG and AC |
| 4. | DL2CG-3856 | Amb. 1995 with CNG |

The cars can be inspected in the premises of the Planning Commission, Yojana Bhavan, New Delhi on any working day between 3 PM to 4 PM. Separate quotations indicating registration number may be dropped in the Tender Box at the reception office of Yojana Bhavan, latest by 3.30 PM on $5^{\text {th }}$ October, 2004. Sealed quotations can also be addressed to Under Secretary (Genl.I), Planning Commission Room No. 411, Yojana Bhavan, New Delhi-110001 so as to reach latest by the stipulated date and time. Earnest money equal to $10 \%$ of the amount quoted should be sent with the quotation by way of Demand Draft/ Pay Order drawn in favour of "Pay \& Accounts Officer, Planning Commission, New Delhi." Quotations so received shall be opened on the same day at 4 PM in Room No. 344, Yojana Bhavan, in the presence of such tenderers who may wish to be present. Further terms \& conditions for disposal of vehicles are as under :-

1. Balance amount of $90 \%$ of the amount quoted be deposited with in $\mathbf{3}$ days from the date of acceptance of the tender.
2. Delivery of the vehicles shall be made after all the transfer documents are completed.
3. $10 \%$ of the amount deposited by the parties whose quotations are not accepted shall be returned to them with in a week.
4. The earnest money of the successful bidder shall be forfeited in case he fails to deposit the balance amount with in the stipulated time.
5. The Government reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reasons thereof.

# सं०डी०26016/24/2003-सा०्र०.। 

## भारत सरकार

योजना आयोग
अवर सचिव (सा०प्र०.1) योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली, भारत के राष्टृपति के लिए एवं उनकी ओर से जैसा जहां है के आधार पर सी.एन.जी. किटृस से लैस निम्नलिखित पेट्टौल कारों के निपटान हेतु सीलबंद कोटेशन, आमंत्रित करते है:

| कम सं० | गाडी सं० | मॉडल व वर्ष | टिप्पणी |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1. | डी.एल. 2 सी.एफ. 7378 | एम्बेसडर 1994 | सी,एन.जी. और ए.सी. |
| 2. | डी..एल.2सी.एफ. 7379 | एम्बेसडर 1994 | सी,एन.जी. |
| 3. | डी.एल.2सी.जी. 3855 | एम्बेसडर 1995 | सी,एन.जी. और ए.सी. |
| 4. | डी.एल.2सी.जी. 3856 | एम्बेसडर 1995 | सी.एन.जी. |

कारों का निरीक्षण, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को सायं 3 से 4 बजे के मध्य किया जा सकता है तथा प्रत्येक कार हेतु अलग-अलग कोटेशन पंजीकरण सं० देते हुए योजना भवन के स्वागत कक्ष में रखी निविदा पेटी में दिनांक 5.10.2004 को 3.30 बजे अपराहृन तक डाले जा सकते हैं सीलबंद कोटेशन, अवर सचिव (सा०प्र०.1), योजना आयोग, कमरा नं० 411 योजना भवन, नई दिल्ली. 110001 के नाम भी इस तरह भेजे जाएं कि वे नियत तारीख व समय तक पहुंच जाए। उल्लिखित राशि 10 प्रतिशत राशि के बराबर का बयाना ववेतन व लेखा अधिकारी, योजना आयोग, नई दिल्ली " के पक्ष में आहरित मांग ड़ाफृट / पे आर्डर के माध्यम से कोटेशन के साथ ही भेजा जाना चाहिए । इस प्रकार से प्राप्त कोटेशन उसी दिन 4 बजे कमरा नं० 344 योजना भवन, नई दिल्ली, में इच्छुक निविदाकारों की उपस्थिति में खोले जाएंगे । इसके अलावा कारों के निपटान हेतु शर्ते निम्नानुसार हैं:

1 उद्वत राशि की 90 प्रतिशत बकाया राशि, निविदा स्वीकार करने की तिथि के तीन दिन के अंदर जमा कर देनी चाहिए ।
2 गाडियों की डिलीवरी सभी सथानांतरण दस्तावेज पूरे हो जाने के बाद ही की जाएगी ।
3 वे पार्टियां, जिनकी कोटेशन स्वीकार नहीं की गई है, कि द्वारा जमा 10 प्रतिशत राशि एक सप्ताह के अंदर लौटा दी जाएगी ।
4 निर्धारित समय के भीतर शेष राशि जमा न करा पाने के मामले में सफल बोली दाता का बयाना जब्त कर लिया जाएगा ।
5 सरकार के पास किसी भी अथवा सभी निविदाओं को, बिना कोई कारण बताए, अस्वीकार करने का अधिकार है ।

